Ministry of External Affairs
Government of India

ICM
INDIA CENTRE FOR MIGRATION

The Pravasi Bharatiya Bima Yojana (PBBY) is a low cost insurance scheme aimed at safeguarding the interests of Indian emigrant workers going abroad for overseas employment. It is a mandatory scheme for ECR category emigrants.

It is also available for ECNR (Emigration Check Not Required) category emigrants who are going abroad for various professions such as unskilled work, industrial/agricultural labour, domestic service, etc.

Details of the scheme, insurance providing companies, user manuals, official notification, etc can be found easily on the eMigrate website:- www.emigrate.gov.in

PBBY can be availed at a premium of Rs. 275 and Rs. 375 for two years and three years respectively. It provides an insurance coverage of up to Rs. 10 lakhs in case of accidental death or permanent disability while on employment abroad.

Medical insurance cover upto Rs.1,00,000/- (up to Rs. 50,000 per hospitalization).

Repatriation cover for medically unfit/premature termination of employment.

Family Hospitalization in India available upto Rs. 50,000/- .

Maternity benefit to women emigrants upto Rs. 50,000/-.

Legal expenses related to emigrant's overseas employment upto Rs. 45,000/-.

For more details, visit the eMigrate website: https://emigrate.gov.in/ext/authorizedAgency.action

Or, scan the QR code provided

Ministry of External Affairs
Government of India

ICM
INDIA CENTRE FOR MIGRATION

Pre-Departure Orientation & Training (PDOT)

Pre-Departure Orientation Training (PDOT) is a free soft-skills enhancing programme for Indian migrant workers going abroad to the GCC countries (Saudi Arabia, Kuwait, UAE, Qatar, Bahrain, and Oman) and Malaysia for employment.

Its objective is to enhance the practical knowledge of Indian migrant workers so that they can be made aware of the culture, language, tradition, and local rules of the destination country.

PDOT Manual & Handbook

Comprehensive PDOT Manual has been developed in 7 Indian languages (Hindi, English, Bangla, Malayalam, Punjabi, Tamil and Telugu) for the expert trainers of PDOT.

PDOT Handbook has also been created for migrant workers in 8 Indian languages (Hindi, English, Bengali, Malayalam, Tamil, Telugu, Punjabi and Urdu).

The PDOT Handbook is also available on the e-Migrate website of the Ministry of External Affairs and can be accessed by clicking on thIs link : www.emigrate/pdot

PDOT provides training for:

- Culture, language, and tradition of the destination country
- Local rules and regulations of the destination country
- Governmental schemes for safe & legal migration as well as for migrant welfare and security

30 PDOT centres have been opened for training across Indian cities.

Almost 1 lakh migrant workers have been provided PDOT training.

Online PDOT available from April 2021.

For more details, visit the pdot website: http://pdot.mea.gov.in/
Or, scan the QR code provided

Indian Community Welfare Fund (ICWF) is a fund setup in all the Missions/Posts abroad to extend assistance to overseas Indians abroad in times of distress and emergency.

Assistance provided to the deserving Indian Nationals under ICWF is for:

- Boarding and lodging (B&L)
- Air passage to India
- Emergency Medical Care
- Payment for small fines and penalties
- Transportation of Mortal Remains (TMR)
- Legal Assistance
- Legal/financial assistance to Indian women deserted by their overseas Indian/foreigner husbands.

Indian Nationals who migrate to destination countries legally are eligible to receive benefits under the fund.

In times of distress and emergency Indian nationals may approach the nearby Indian Embassy/Consulate for assistance.

Assistance under ICWF is not applicable to POIs and OCIs.

For more details, visit the eMigrate website: https://emigrate.gov.in/ext/static/ICWFGuidelines.jpg
Or, scan the QR code provided

प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई/PBBY) एक कम लागत वाली बीमा योजना है जिसका उद्देश्य रोजगार के लिए विदेश जाने वाले भारतीय प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा करना है। यह ईसीआर (ECR) श्रेणी के भारतीय प्रवासियों के लिए एक अनिवार्य योजना है।

गैर-ईसीआर (Non-ECR) श्रेणी के उत्प्रवासी जैसे अकुशल श्रमिक – किसी भी प्रकार के औद्योगिक या कृषि कार्य हेतु अथवा घरेलू सेवा आदि जो रोजगार के लिए विदेश जा रहे है वह भी पीबीबीवाई का लाभ उठा सकते हैं।

योजना का विवरण, बीमा प्रदान करने वाली कंपनियां, उपयोगकर्ता नियमावली, आधिकारिक अधिसूचना आदि ई-माइग्रेट वेबसाइट पर आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं:- www.emigrate.gov.in

यह योजना दो साल के लिए 275/- रुपये और तीन साल के लिए 375 /- रुपये की बीमा किस्त पर आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में रु. 10 लाख का सुरक्षा कवर और अन्य बीमा लाभ प्रदान करती है।

रु. 1,00,000/- तक चोटों/ बीमारी/ रोगों सहित चिकित्सा खर्च का वहन (प्रत्येक बार अस्पताल में भर्ती होने पर रु. 50,000 तक का वहन)।

चिकित्सकीय रूप से अयोग्यता अथवा रोजगार की समयपूर्व समाप्ति होने पर भारत वापसी के लिए यात्रा खर्च का भुगतान।

भारत में निवास करने वाले जीवनसाथी और २१ वर्ष की आयु तक के पहले दो बच्चों के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर रु. 50,000 तक का चिकित्सा खर्च भुगतान।

महिला प्रवासियों को मातृत्व चिकित्सा व्यय अस्पताल में भर्ती होने पर रु.50,000/- तक का भुगतान।

प्रवासी के विदेशी रोजगार से संबंधित कानूनी विवाद के लिए रु. 45,000/- तक के खर्च का भुगतान।

अधिक जानकारी के लिए, ई -माइग्रेट की वेबसाइट देखें : https://emigrate.gov.in/ext/authorizedAgency.action
अन्यथा , दिए गए क्यू -आर कोड को स्कैन करें

Ministry of External Affairs
Government of India

ICM
INDIA CENTRE FOR MIGRATION

पीडीओटी (PDOT) कार्यक्रम मुफ्त सॉफ्ट-कौशल बढ़ाने वाला कार्यक्रम है रोजगार के लिए जीसीसी के देशों (सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान) और मलेशिया में जाने वाले भारतीय प्रवासी श्रमिकों/ कामगारों के लिए है।

पीडीओटी (PDOT) कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रवासी श्रमिकों/ कामगारों के व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाना है, ताकि प्रवासी भारतीय को गंतव्य देश की संस्कृति, भाषा, परंपरा और स्थानीय नियमों के संदर्भ में जागरूक किया जा सके।

पीडीओटी के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के लिए एक व्यापक पीडीओटी पुस्तिका को सात भारतीय भाषाओं (हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मलयालम, पंजाबी, तमिल तथा तेलुगु) में बनाया गया है।

प्रवासी कामगारों के लिए भी पीडीओटी पुस्तिका को बनाया गया है जो आठ भारतीय भाषाओं (हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी तथा उर्दू) में उपलब्ध है।

पीडीओटी निम्नलिखित के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है:

- **गंतव्य देश की संस्कृति, भाषा और परंपरा**
- **गंतव्य देश के स्थानीय नियम और कानून**
- **सुरक्षित और कानूनी प्रवास के साथ-साथ प्रवासी कल्याण और सुरक्षा के लिए सरकारी योजनाएं**

पीडीओटी पुस्तिका विदेश मंत्रालय की ई-माइग्रेट वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और दिए गए लिंक www.emigrate/pdot पर क्लिक करके इसे देखा जा सकता है।

पीडीओटी (PDOT) के लिए देश के विभिन्न शहरों में 30 केंद्र खोले गए हैं ।

अब तक पीडीओटी (PDOT) के माध्यम से लगभग एक लाख भारतीय प्रवासी श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

मंत्रालय ने अप्रैल 2021 से ऑनलाइन पीडीओ (PDO) प्रशिक्षण भी शुरू किया है।

अधिक जानकारी के लिए, पीडीओटी की वेबसाइट देखें : http://pdot.mea.gov.in/
अन्यथा , दिए गए क्यू-आर कोड को स्कैन करें

भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्लूएफ), संकट में विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित एक फंड है जो सभी भारतीय मिशन / पोस्ट में उपलब्ध है।

ऐसे भारतीय नागरिक जिन्होंने कानूनी रूप से मेजबान देश में प्रवेश किया हो इस कोष के तहत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

संकट और आपात स्थिति में भारतीय नागरिक सहायता के लिए नजदीकी भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास से संपर्क कर सकते हैं।

आईसीडब्ल्यूएफ के तहत सहायता पीओआई और ओसीआई पर लागू नहीं होती है।

आईसीडब्ल्यूएफ के तहत योग्य भारतीय नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सहायता इस प्रकार है:

- बोर्डिंग और लॉजिंग
- भारत के लिए हवाई मार्ग
- आपातकालीन चिकित्सा देखभाल
- मामूली अपराधों के संबंध में छोटे जुर्माने और दंड का भुगतान
- शव का परिवहन
- कानूनी सहयोग
- प्रवासी भारतीय/विदेशी पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को कानूनी/वित्तीय सहायता

अधिक जानकारी के लिए, ई -माइग्रेट की वेबसाइट देखें : https://emigrate.gov.in/ext/static/ICWFGuidelines.jpg
अन्यथा , दिए गए क्यू -आर कोड को स्कैन करें